



2026:AHC:23755

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1555, वर्ष 2026

नेत्रपाल सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता

: जनार्दन यादव

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जनार्दन यादव और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।

2. विरोधी पक्षों के अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से यह कथन दिया है कि वे आगे कोई शपथ पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं, अतः पक्षों की सहमति से, याचिका का निस्तारण नवीन चरण पर ही किया जा रहा है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वह पूर्व में 31.10.1982 को भारतीय सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हुआ था और 01.11.1999 को उसे सेवामुक्त कर दिया गया था। तत्पश्चात्, 25.06.2005 को उसकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर हुई और वह 31.01.2025 को सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके वेतन का पुनर्निर्धारण 30.04.2015 को किया गया था, तथापि, वरिष्ठ

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा गठित समिति के आधार पर पारित आदेश दिनांक 24.09.2024 के माध्यम से वेतन का पुनर्निर्धारण इस आधार पर किया गया है कि याचिकाकर्ता को कुछ ऐसे लाभ प्रदान किए गए थे जो उसे प्रदान नहीं किए जाने चाहिए थे।

4. उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका दायर की गई है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि विवादित आदेश याचिकाकर्ता को बिना कोई सूचना दिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में पारित किया गया है।

6. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने स्वीकार किया कि प्रश्नगत आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है कि याचिकाकर्ता को कोई सूचना दी गई थी।

7. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।

8. स्पष्टतः, याचिकाकर्ता का आरोप है कि आदेश दिनांक 24.09.2024, जिसके द्वारा पूर्व वेतन निर्धारण दिनांक 30.04.2015 को विधि के अनुकूल नहीं माना गया था, पारित करने से पूर्व उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी।

9. जो भी हो, चूंकि याचिकाकर्ता का यह आरोप है कि उसकी सुनवाई नहीं हुई है, अतः याचिका को निम्नलिखित रीति से निस्तारित किया जाता है:

(क) याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 5, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करेगा, जो याचिकाकर्ता को 27.02.2026 तक कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे। तत्पश्चात, याचिकाकर्ता 15 दिनों की अवधि के भीतर उसका उत्तर देगा और उक्त अधिकारी उसके बाद दो माह की अवधि के भीतर विधि के अनुसार कड़ाई से एक सकारण आदेश पारित कर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे।

(ख) दिनांक 24.09.2024 का आदेश, इस न्यायालय के निर्देश के पश्चात पारित होने वाले आगामी आदेशों के अधीन रहेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

4 फरवरी, 2026

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"